संख्या-16/2025/676/30-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली,2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 27-12-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ 2025 हेतु 15 अस्थायी बस स्टेशनों की स्थापना पर व्यय की गयी धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-585स0सु0/2025-08स0सु0/2021(Vol-3),दिनांक 10 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ 2025 में प्रदेश के समस्त जनपदों में अस्थायी बस स्टेशन की स्थापना हेतु 15 जनपदों में अस्थायी बस स्टेशन की स्थापना पर व्यय की गयी धनराशि रू0 1,21,76,686/- अर्थात् पूर्णांक में रू० 122.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय के अंतर्गत मद संख्या-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 750.00 लाख से निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ 2025 हेतु 15 अस्थायी बस स्टेशनों की स्थापना पर व्यय की गयी धनराशि रू0 1,21,76,686/- के सापेक्ष कोष प्रबंधन समिति की दिनांक 27-12-2024 को सम्पन्न बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 : वर्ष 2024-25 परिवहन विभाग : प्रस्तावित पूंजीगत योजनाएं की तालिका के क्रमांक-(2) में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार तालिका के कॉलम-4 में अंकित कुल धनराशि रू0 1,07,86,976/- (रू0 एक करोड़ सात लाख छियासी हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	बस स्टेशन की स्थापना हेतु मांग की गयी धनराशि	**कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 27-12-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में अनुमोदित की जाने वाली धनराशि**
1	2	3	4
1	मथुरा	20,000	**20,000**
2	मुरादाबाद	14,98,000	**14,98,000**
3	कौशाम्बी	50,000	**50,000**
4	चित्रकूट	13,30,000	**10,00,000**
5	बाराबंकी	1,44,680	**1,44,680**
6	अम्बेडकर नगर	2,38,096	**2,38,096**
7	बस्ती	9,50,000	**9,50,000**
8	संत कबीरनगर	6,70,000	**6,70,000**
9	वाराणसी	27,88,930	**20,00,000**
10	जौनपुर	5,00,000	**5,00,000**
11	चन्दौली	6,00,000	**6,00,000**
12	गोरखपुर	3,00,000	**3,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

13	महाराजगंज	10,00,000	**10,00,000**
14	आजमगढ.	12,70,780	**10,00,000**
15	मऊ	8,16,200	**8,16,200**
कुल योग -		1,**21,76,686/-**	**रू0 1,07,86,976/-**
			एक करोड़ सात लाख छियासी हजार नौ सौ छियत्तर मात्र

नियम व शर्तें -

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
3. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
4. योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनॉक 04-03-2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-728-X-2024-25, दिनांक 28 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-16/2025/676/30-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- संबंधित संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।